

डॉ. अम्बेडकर का स्त्री-शिक्षा संबंधी दृष्टिकोण और आधुनिक भारत में महिला उत्थान की दिशा

शिल्पा कुमारी

शोधार्थी,

विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा

सारांश

यह शोध-पत्र डॉ. भीमराव अम्बेडकर के स्त्री-शिक्षा संबंधी दृष्टिकोण और आधुनिक भारत में महिला उत्थान की दिशा का राजनीतिक-सामाजिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन मुख्यतः द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है, जिनमें डॉ. अम्बेडकर के लेखन एवं भाषण, भारतीय संविधान, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2021-22, यू-डाइस प्लस, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण तथा महिला शिक्षा और सामाजिक न्याय से संबंधित प्रामाणिक शोध-साहित्य को आधार बनाया गया है। अध्ययन का केंद्रीय तर्क यह है कि अम्बेडकर के लिए शिक्षा केवल साक्षरता, डिग्री अथवा रोजगार-प्राप्ति का साधन नहीं थी, बल्कि वह आत्मसम्मान, अधिकार-बोध, सामाजिक चेतना और अन्यायपूर्ण व्यवस्था के विरुद्ध लोकतांत्रिक संघर्ष का माध्यम थी। आधुनिक भारत में महिला शिक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है; उच्च शिक्षा में महिला नामांकन 2014-15 के 1.57 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में 2.07 करोड़ हो गया, जबकि महिला श्रम-बल भागीदारी दर 2017-18 के 23.3% से बढ़कर 2023-24 में 41.7% हुई। फिर भी शिक्षा से रोजगार, नेतृत्व, सुरक्षा, संपत्ति-अधिकार और सामाजिक गरिमा तक की यात्रा अभी अधूरी है। निष्कर्षतः, महिला उत्थान की वास्तविक दिशा अम्बेडकरवादी शिक्षा-दृष्टि में निहित है, जहाँ शिक्षा का अंतिम लक्ष्य स्त्री को स्वतंत्र, समान, विवेकशील और अधिकार-संपन्न नागरिक बनाना है।

मुख्य शब्द: डॉ. अम्बेडकर, स्त्री-शिक्षा, महिला उत्थान, सामाजिक न्याय, उच्च शिक्षा, संवैधानिक लोकतंत्र, महिला सशक्तिकरण।

1. प्रस्तावना

भारतीय समाज में महिला उत्थान का प्रश्न शिक्षा से गहरे रूप में जुड़ा हुआ है। शिक्षा स्त्री को केवल पढ़ने-लिखने की तकनीकी क्षमता नहीं देती, बल्कि वह उसे सामाजिक पहचान, आत्मसम्मान, आर्थिक स्वायत्तता, संवैधानिक अधिकारों की समझ और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी की क्षमता प्रदान करती है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने शिक्षा को सामाजिक मुक्ति का सबसे प्रभावी साधन माना। उनका प्रसिद्ध सामाजिक आह्वान “शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो” केवल दलित समाज के लिए नहीं, बल्कि भारत के सभी वंचित वर्गों, विशेषकर महिलाओं के लिए भी समान रूप से प्रासंगिक है [1]। अम्बेडकर के लेखन और भाषणों में शिक्षा को व्यक्ति और समाज दोनों की चेतना बदलने वाली शक्ति के रूप में देखा गया है [2]।

डॉ. अम्बेडकर का स्त्री-शिक्षा दृष्टिकोण उनके व्यापक सामाजिक न्याय-दर्शन से अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने भारतीय समाज में जाति, पितृसत्ता, धार्मिक रूढ़ियों और आर्थिक निर्भरता को स्त्री की अधीनता के प्रमुख कारणों के रूप में समझा। इसलिए उनके लिए स्त्री-शिक्षा केवल परिवार की उन्नति का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त थी। अम्बेडकर ने 1942 में दलित वर्ग महिला सम्मेलन में यह स्पष्ट किया था कि किसी समाज की प्रगति को उसकी महिलाओं की प्रगति से

मापा जा सकता है [3]। इस कथन से स्पष्ट होता है कि अम्बेडकर स्त्री को सामाजिक परिवर्तन की सक्रिय इकाई के रूप में देखते थे।

भारतीय संविधान में समानता, गरिमा, शिक्षा और अवसर-समानता की जो संरचना विकसित हुई, उसमें अम्बेडकर की भूमिका निर्णायक रही। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 लिंग-आधारित भेदभाव-निषेध, अनुच्छेद 15(3) महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान, अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर तथा अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार की संवैधानिक व्यवस्था करते हैं [4]। 1 अप्रैल 2010 से अनुच्छेद 21A और शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को कानूनी अधिकार बनाया गया [5]। यह संवैधानिक विस्तार अम्बेडकरवादी दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षा को अब दया, अनुदान या सामाजिक सुविधा नहीं, बल्कि अधिकार के रूप में देखा गया।

आधुनिक भारत में महिला शिक्षा की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उच्च शिक्षा में महिला नामांकन 2014-15 के 1.57 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में 2.07 करोड़ हो गया, अर्थात् लगभग 32% वृद्धि हुई। महिला सकल नामांकन अनुपात भी 2014-15 के 22.9 से बढ़कर 2021-22 में 28.5 हो गया [6]। यह महिला शिक्षा के विस्तार को दर्शाता है, परंतु इसके साथ यह प्रश्न भी उठता है कि क्या शिक्षा का यह विस्तार वास्तविक महिला उत्थान में बदल रहा है? Ministry of Education के आधिकारिक विवरण में भी महिला उच्च शिक्षा नामांकन और महिला GER में इसी वृद्धि को रेखांकित किया गया है।

महिला शिक्षा और आर्थिक भागीदारी के संबंध में भी परिवर्तन दिखाई देता है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं की श्रम-बल भागीदारी दर 2017-18 में 23.3% थी, जो 2023-24 में 41.7% हो गई [7]। यह वृद्धि महत्वपूर्ण है, किंतु केवल श्रम-बल में प्रवेश महिला उत्थान का पूर्ण संकेतक नहीं हो सकता। रोजगार की गुणवत्ता, वेतन, सामाजिक सुरक्षा, कार्यस्थल सुरक्षा, मातृत्व-सुविधा और नेतृत्व में भागीदारी भी समान रूप से आवश्यक हैं। PLFS 2023-24 में महिला LFPR 41.7% दर्ज होने की आधिकारिक पुष्टि भी उपलब्ध है।

2. अध्ययन के उद्देश्य

इस अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं।

डॉ. अम्बेडकर के स्त्री-शिक्षा संबंधी दृष्टिकोण का वैचारिक विश्लेषण करना।

आधुनिक भारत में महिला शिक्षा की प्रगति को द्वितीयक आँकड़ों के आधार पर समझना।

महिला शिक्षा, श्रम-भागीदारी और सामाजिक सशक्तिकरण के संबंध का परीक्षण करना।

अम्बेडकरवादी सामाजिक न्याय-दृष्टि से महिला उत्थान की वर्तमान दिशा का मूल्यांकन करना।

ऐसी नीतिगत दिशा प्रस्तुत करना जिससे महिला शिक्षा केवल नामांकन या डिग्री तक सीमित न रहे, बल्कि वास्तविक सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण का आधार बने।

3. शोध-प्रविधि

यह अध्ययन वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक और व्याख्यात्मक पद्धति पर आधारित है। अध्ययन में मुख्यतः द्वितीयक आँकड़ों का उपयोग किया गया है। प्रमुख स्रोतों में डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर: लेखन और भाषण, भारतीय संविधान, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2021-22, यू-डाइस प्लस 2024-25, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2023-24, तथा महिला शिक्षा और सामाजिक न्याय पर केंद्रित प्रामाणिक अकादमिक ग्रंथ शामिल हैं।

सांख्यिकीय विश्लेषण में प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत-बिंदु अंतर और वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि दर का प्रयोग किया गया है। महिला उच्च शिक्षा नामांकन की वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि दर निम्न सूत्र से निकाली गई:

$$\text{वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि दर} = [(\text{अंतिम मान} / \text{प्रारंभिक मान})^{(1/n)} - 1] \times 100$$

यहाँ प्रारंभिक मान 1.57 करोड़, अंतिम मान 2.07 करोड़ और अवधि 7 वर्ष मानी गई। इस आधार पर महिला उच्च शिक्षा नामांकन की वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि दर लगभग 4.03% प्राप्त होती है। इसी प्रकार, महिला श्रम-बल भागीदारी में 2017-18 से 2023-24 तक 18.4 प्रतिशत-बिंदु की वृद्धि हुई।

4. डॉ. अम्बेडकर का स्त्री-शिक्षा संबंधी दृष्टिकोण

डॉ. अम्बेडकर ने शिक्षा को मनुष्य की आत्ममुक्ति का आधार माना। उनके विचार में शिक्षा का उद्देश्य केवल आजीविका अर्जित करना नहीं, बल्कि व्यक्ति को विचारशील, स्वतंत्र और न्याय-सचेत बनाना है। अम्बेडकर की दृष्टि में शिक्षा वह माध्यम है जिसके द्वारा वंचित व्यक्ति अपने ऊपर लादी गई सामाजिक हीनता को पहचानता है और उससे बाहर निकलने की सामूहिक चेतना विकसित करता है [1]। स्त्री के संदर्भ में यह दृष्टि और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय समाज में स्त्री की अधीनता केवल आर्थिक नहीं, बल्कि धार्मिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक और जातिगत संरचनाओं से भी निर्मित होती है [10]।

अम्बेडकर का स्त्री-शिक्षा दृष्टिकोण तीन स्तरों पर समझा जा सकता है। पहला स्तर है चेतना का विकास। शिक्षा स्त्री को यह समझने की क्षमता देती है कि समाज में उसकी अधीनता प्राकृतिक नहीं, बल्कि सामाजिक रूप से निर्मित है। दूसरा स्तर है आत्मसम्मान का निर्माण। अम्बेडकर ने आत्मसम्मान को सामाजिक न्याय की मूल शर्त माना; शिक्षित स्त्री स्वयं को दया या संरक्षण की पात्र नहीं, बल्कि अधिकार-संपन्न नागरिक के रूप में देखती है [2]। तीसरा स्तर है संगठन और लोकतांत्रिक संघर्ष। अम्बेडकर के “शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो” में शिक्षा का अर्थ निष्क्रिय ज्ञान-संग्रह नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की सक्रिय तैयारी है [3]।

शर्मिला रेगे ने अम्बेडकर के स्त्री-विमर्श को ब्राह्मणवादी पितृसत्ता के आलोचनात्मक पुनर्पाठ के रूप में देखा है [11]। उनके अनुसार अम्बेडकर स्त्री-प्रश्न को केवल सुधारवादी नैतिकता से नहीं, बल्कि सत्ता-संबंधों, जाति और पितृसत्ता की संयुक्त संरचना से जोड़ते हैं। शैलजा पैक ने दलित महिलाओं की शिक्षा पर अपने अध्ययन में दिखाया है कि शिक्षा दलित स्त्रियों के लिए दोहरे भेदभाव—जाति और लिंग—से संघर्ष का आधार बनती है [12]। इस दृष्टि से अम्बेडकर की स्त्री-शिक्षा दृष्टि सामान्य महिला शिक्षा से आगे जाकर सामाजिक रूप से वंचित स्त्रियों की मुक्ति का कार्यक्रम बन जाती है।

गेल ऑम्बेट ने अम्बेडकर को आधुनिक भारत की बौद्धिक मुक्ति परंपरा का केंद्रीय चिंतक माना है [13]। एलिनॉर ज़ेलियट ने भी अम्बेडकर आंदोलन को सामाजिक सम्मान और शिक्षा-आधारित जागृति से जोड़ा है [14]। इन अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि अम्बेडकरवादी शिक्षा-दृष्टि में स्त्री-शिक्षा का उद्देश्य केवल पारिवारिक स्थिति सुधारना नहीं, बल्कि सामाजिक संबंधों का लोकतंत्रीकरण करना है।

अम्बेडकर का हिंदू कोड बिल संबंधी प्रयास भी स्त्री-शिक्षा से जुड़ा हुआ है। विवाह, तलाक, संपत्ति और उत्तराधिकार के अधिकार तभी वास्तविक बन सकते हैं जब स्त्री इन अधिकारों को समझे और उनका उपयोग कर सके [9]। इसलिए अम्बेडकर के विचार में शिक्षा और विधिक अधिकार परस्पर पूरक हैं। शिक्षित स्त्री अधिकारों का दावा कर सकती है; अशिक्षित या निर्भर स्त्री अक्सर अधिकार होने पर भी उनसे वंचित रह जाती है।



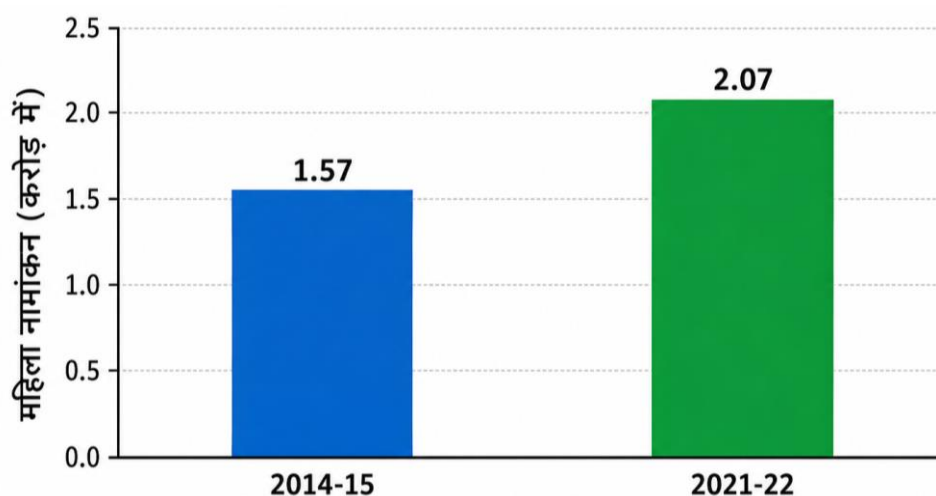
यह मॉडल स्पष्ट करता है कि अम्बेडकर के लिए शिक्षा केवल विद्यालयी उपलब्धि नहीं, बल्कि सामाजिक मुक्ति की क्रमिक प्रक्रिया है।

चित्र 1: अम्बेडकरवादी स्त्री-शिक्षा मॉडल

5. आधुनिक भारत में महिला शिक्षा की स्थिति

आधुनिक भारत में महिला शिक्षा का विस्तार उल्लेखनीय है। उच्च शिक्षा में महिला नामांकन का 2014-15 के 1.57 करोड़ से 2021-22 में 2.07 करोड़ तक पहुँचना भारतीय शिक्षा-व्यवस्था में लैंगिक भागीदारी की ऐतिहासिक वृद्धि को दर्शाता है [6]। महिला सकल नामांकन अनुपात 22.9 से बढ़कर 28.5 होना भी यह दिखाता है कि उच्च शिक्षा में महिलाओं की पहुँच बढ़ी है। AISHE 2021-22 के अनुसार कुल उच्च शिक्षा नामांकन 4.33 करोड़ था और इसमें महिला नामांकन 2.07 करोड़ रहा।

सामाजिक श्रेणियों के आधार पर भी महिला शिक्षा में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देता है। AISHE के अनुसार अनुसूचित जाति की महिला छात्राओं का उच्च शिक्षा नामांकन 2014-15 के 21.02 लाख से बढ़कर 2021-22 में 31.71 लाख हुआ, यानी लगभग 51% वृद्धि दर्ज हुई [6]। अनुसूचित जनजाति की महिला छात्राओं का नामांकन 7.47 लाख से बढ़कर 13.46 लाख हुआ, यानी लगभग 80% वृद्धि हुई [6]। यह वृद्धि अम्बेडकरवादी दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामाजिक न्याय का वास्तविक अर्थ तभी है जब शिक्षा उन समूहों तक पहुँचे जिन्हें ऐतिहासिक रूप से शिक्षा से वंचित रखा गया था।



चित्र 2: उच्च शिक्षा में महिला नामांकन, 2014-15 और 2021-22

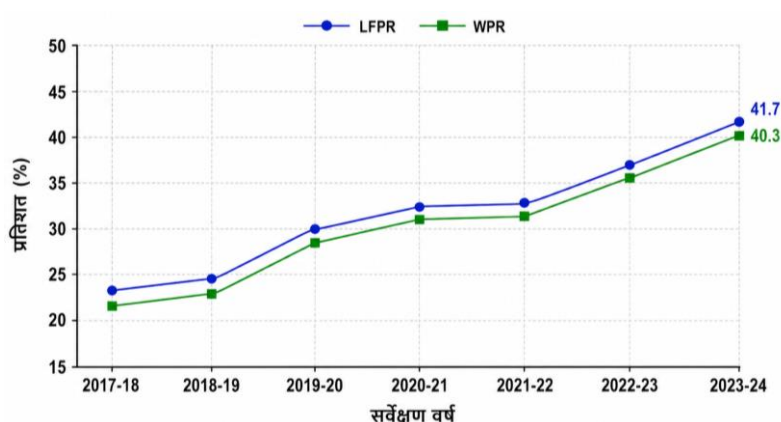
विद्यालयी शिक्षा में भी लड़कियों की भागीदारी बढ़ी है, परंतु माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर संक्रमण तथा निरंतरता की समस्या बनी हुई है। यू-डाइस प्लस 2024-25 विद्यालयी शिक्षा के स्तरों, नामांकन, अवसंरचना और संक्रमण से संबंधित महत्वपूर्ण आँकड़े प्रस्तुत करता है [8]। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर लड़कियों का निरंतर बने रहना महिला उत्थान की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि किशोरावस्था में शिक्षा से बाहर होना बाल विवाह, असुरक्षित श्रम, घरेलू निर्भरता और आर्थिक वंचना से जुड़ सकता है। UDISE+ 2024-25 की आधिकारिक रिपोर्ट विद्यालयी संरचना और नामांकन विश्लेषण का अद्यतन स्रोत है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने लैंगिक समावेशन को शिक्षा-व्यवस्था की प्राथमिकता माना है। नीति में सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों की लड़कियों को विशेष रूप से लक्षित करने और Gender Inclusion Fund की स्थापना का प्रावधान किया गया है [15]। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार NEP 2020 लड़कियों और ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के लिए समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु Gender Inclusion Fund का प्रस्ताव करती है। यह दृष्टि अम्बेडकरवादी सामाजिक न्याय से मेल खाती है, क्योंकि यह समान अवसर को केवल औपचारिक प्रवेश तक सीमित नहीं रखती, बल्कि विशेष सहायता और समावेशी संरचना की मांग करती है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 भी महिला शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण के संबंध को स्पष्ट करता है। NFHS-5 शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह, प्रजनन, पोषण, बैंकिंग पहुँच और घरेलू निर्णयों में महिला की भूमिका जैसे संकेतकों पर राष्ट्रीय स्तर का व्यापक डेटा देता है [16]। महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि का संबंध विवाह की आयु, मातृ-स्वास्थ्य, बच्चों के पोषण और परिवार के भीतर निर्णय-क्षमता से जुड़ता है। NFHS-5 का राष्ट्रीय प्रतिवेदन इस बहुआयामी संबंध को समझने का महत्वपूर्ण स्रोत है।

6. शिक्षा, श्रम और महिला उत्थान का संबंध

शिक्षा और महिला उत्थान के बीच संबंध तभी पूर्ण होता है जब शिक्षा आर्थिक स्वायत्तता, रोजगार और नेतृत्व में बदलती है। भारत में महिलाओं की श्रम-बल भागीदारी में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। PLFS के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं की श्रम-बल भागीदारी दर 2017-18 में 23.3% थी, जो 2023-24 में 41.7% हो गई [7]। यह 18.4 प्रतिशत-बिंदु की वृद्धि है। इसी अवधि में महिला कार्यकर्ता जनसंख्या अनुपात 22.0% से बढ़कर 40.3% हुआ [7]। Ministry of Labour and Employment के आधिकारिक विवरण में भी 2023-24 के लिए महिलाओं की LFPR 41.7% बताई गई है।



चित्र 3: महिला LFPR और WPR की प्रवृत्ति, 2017-18 से 2023-24

फिर भी शिक्षा से रोजगार में रूपांतरण सरल नहीं है। भारत में कई शिक्षित महिलाएँ श्रम-बाजार से बाहर रहती हैं, क्योंकि घरेलू कार्य का असमान बोझ, सुरक्षित परिवहन की कमी, उपयुक्त रोजगार का अभाव, विवाहोत्तर सामाजिक अपेक्षाएँ और कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव उनके सामने बाधा बनते हैं। अमर्त्य सेन ने विकास को स्वतंत्रताओं के विस्तार के रूप में देखा है [17]। इस दृष्टि से महिला शिक्षा तभी वास्तविक विकास बनेगी जब वह स्त्री को जीवन-विकल्पों का विस्तार दे। मार्था नुसबाम का क्षमता दृष्टिकोण भी यह स्पष्ट करता है कि शिक्षा का मूल्य केवल आय में नहीं, बल्कि गरिमापूर्ण जीवन जीने की वास्तविक क्षमता में है [18]।

ज्याँ द्रेज़ और अमर्त्य सेन ने भारतीय विकास के अंतर्विरोधों को रेखांकित करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक अवसरों की केंद्रीय भूमिका पर बल दिया है [19]। उनके विचार से शिक्षा का विस्तार सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक विकास दोनों की शर्त है। विश्व बैंक की लैंगिक समानता रिपोर्ट ने भी यह स्पष्ट किया है कि महिलाओं की शिक्षा श्रम उत्पादकता, परिवार-कल्याण और आर्थिक विकास से जुड़ी है [20]। UNESCO की Global Education Monitoring Report भी शिक्षा में लैंगिक समानता को सामाजिक न्याय, समावेशन और स्थायी विकास का आधार मानती है [21]।

इस प्रकार अम्बेडकरवादी दृष्टि और समकालीन विकास-अध्ययन दोनों इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि महिला शिक्षा केवल विद्यालयी उपलब्धि नहीं, बल्कि सामाजिक शक्ति का पुनर्वितरण है।

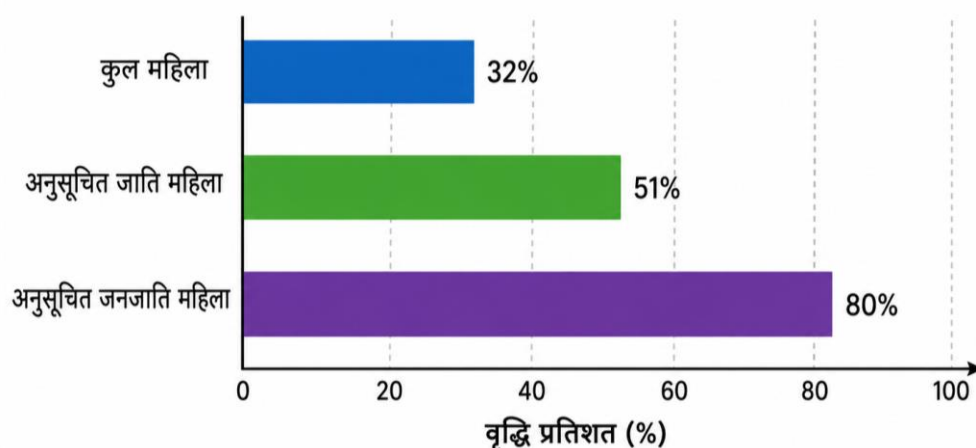
7. परिणाम एवं आँकड़ा-विश्लेषण

तालिका 1: भारत में महिला उच्च शिक्षा की प्रगति

संकेतक	2014-15	2021-22	परिवर्तन
महिला उच्च शिक्षा नामांकन	1.57 करोड़	2.07 करोड़	32% वृद्धि
महिला GER	22.9	28.5	5.6 प्रतिशत-बिंदु वृद्धि
अनुसूचित जाति महिला नामांकन	21.02 लाख	31.71 लाख	51% वृद्धि
अनुसूचित जनजाति महिला नामांकन	7.47 लाख	13.46 लाख	80% वृद्धि
महिला पी-एच.डी. नामांकन	0.48 लाख	0.99 लाख	लगभग दोगुना

स्रोत: AISHE 2021-22 [6]।

उच्च शिक्षा में महिला भागीदारी का विस्तार केवल कुल नामांकन तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक रूप से वंचित वर्गों की छात्राओं तक भी पहुँचा है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिला छात्राओं में वृद्धि अम्बेडकरवादी सामाजिक न्याय की दृष्टि से विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।



चित्र 4: सामाजिक श्रेणी के अनुसार महिला उच्च शिक्षा नामांकन वृद्धि

तालिका 2: महिला शिक्षा और श्रम-भागीदारी का तुलनात्मक विश्लेषण

संकेतक	2017-18	2023-24	परिवर्तन
महिला LFPR	23.3%	41.7%	18.4 प्रतिशत-बिंदु वृद्धि
महिला WPR	22.0%	40.3%	18.3 प्रतिशत-बिंदु वृद्धि
उच्च माध्यमिक शिक्षित महिलाओं का कार्यरत अनुपात	11.4%	23.9%	12.5 प्रतिशत-बिंदु वृद्धि
स्नातकोत्तर और उससे ऊपर शिक्षित महिलाओं का कार्यरत अनुपात	34.5%	39.6%	5.1 प्रतिशत-बिंदु वृद्धि

स्रोत: PLFS संबंधी आधिकारिक आँकड़े [7]।

तालिका 2 से स्पष्ट है कि महिला श्रम-भागीदारी में वृद्धि हुई है, लेकिन शिक्षा-स्तर और रोजगार के बीच संबंध रैखिक नहीं है। उच्च माध्यमिक शिक्षित महिलाओं की कार्य-भागीदारी में वृद्धि अधिक दिखाई देती है, जबकि उच्च शिक्षित महिलाओं में वृद्धि अपेक्षाकृत सीमित है। इसका संकेत यह हो सकता है कि उच्च शिक्षित महिलाओं के लिए उपयुक्त, सुरक्षित और गरिमापूर्ण रोजगार अवसरों का विस्तार अभी पर्याप्त नहीं है।

तालिका 3: महिला उत्थान के शैक्षिक संकेतक और अम्बेडकरवादी व्याख्या

शैक्षिक संकेतक	उपलब्धि	शेष चुनौती	अम्बेडकरवादी व्याख्या
विद्यालयी नामांकन	लड़कियों की भागीदारी बढ़ी	माध्यमिक स्तर पर निरंतरता	शिक्षा को अधिकार और स्थायित्व चाहिए
उच्च शिक्षा	महिला नामांकन 2.07 करोड़	गुणवत्ता और विषय-विषमता	शिक्षा से अवसर-समानता

SC/ST महिला शिक्षा	उल्लेखनीय वृद्धि	सामाजिक और आर्थिक बाधाएँ	वंचित स्त्री की मुक्ति
शिक्षा से रोजगार	LFPR में वृद्धि	सुरक्षित और औपचारिक रोजगार की कमी	शिक्षा का आर्थिक रूपांतरण
नीति-संरचना	NEP 2020 में Gender Inclusion Fund	क्रियान्वयन की चुनौती	सकारात्मक न्याय की आवश्यकता

8. साहित्य-समीक्षा और वैचारिक विमर्श

अम्बेडकर की शिक्षा-दृष्टि को उनके सामाजिक न्याय और जाति-विरोधी चिंतन से अलग नहीं समझा जा सकता। Annihilation of Caste में उन्होंने जाति-व्यवस्था को सामाजिक स्वतंत्रता और नैतिक लोकतंत्र के विरुद्ध संरचना के रूप में देखा [10]। Castes in India में उन्होंने जाति की उत्पत्ति और उसके सामाजिक नियंत्रण-तंत्र का विश्लेषण किया [22]। स्त्री-शिक्षा के संदर्भ में यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जाति-संरचना स्त्री के विवाह, यौनिकता, श्रम और गतिशीलता पर नियंत्रण के माध्यम से पुनरुत्पादित होती है।

शर्मिला रेगे ने इसीलिए अम्बेडकर को ब्राह्मणवादी पितृसत्ता के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण स्त्रीवादी स्रोत के रूप में पढ़ा है [11]। शैलजा पैक का अध्ययन बताता है कि दलित महिलाओं की शिक्षा सामाजिक सम्मान, रोजगार और सार्वजनिक दावे का माध्यम बनी, परंतु उन्हें जाति और लिंग दोनों स्तरों पर अवरोधों का सामना करना पड़ा [12]। गेल ऑम्बेट और एलिनॉर ज़ेलियट ने अम्बेडकर आंदोलन को सामाजिक आत्मसम्मान, संगठन और शिक्षा-आधारित चेतना की परंपरा से जोड़ा है [13], [14]।

आधुनिक विकास विमर्श में सेन और नुसबाम शिक्षा को क्षमता-विस्तार के रूप में देखते हैं [17], [18]। यह दृष्टि अम्बेडकर के विचारों से संवाद करती है, क्योंकि दोनों ही शिक्षा को केवल आय या प्रमाणपत्र की दृष्टि से नहीं, बल्कि स्वतंत्रता और गरिमा की दृष्टि से देखते हैं। ट्रेज़ और सेन का भारतीय विकास पर अध्ययन भी शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक अवसरों को लोकतांत्रिक विकास का आधार मानता है [19]। विश्व बैंक और UNESCO की रिपोर्टें भी इस बात की पुष्टि करती हैं कि महिला शिक्षा सामाजिक विकास, स्वास्थ्य, श्रम उत्पादकता और लैंगिक समानता से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी है [20], [21]।

9. चर्चा: आधुनिक भारत में महिला उत्थान की दिशा

आधुनिक भारत में महिला उत्थान की दिशा को केवल शिक्षा-नामांकन के आधार पर नहीं समझा जा सकता। शिक्षा में वृद्धि आवश्यक है, परंतु पर्याप्त नहीं। यदि शिक्षित महिला को रोजगार नहीं मिलता, यदि वह परिवार में निर्णय नहीं ले पाती, यदि वह हिंसा से सुरक्षित नहीं है, यदि उसे संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता, तो शिक्षा का सामाजिक प्रभाव अधूरा रह जाता है। अम्बेडकरवादी दृष्टि में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य सामाजिक शक्ति-संबंधों में परिवर्तन है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने समावेशन, समानता और वंचित समूहों की शिक्षा पर बल दिया है [15]। लेकिन नीति का वास्तविक मूल्य क्रियान्वयन से निर्धारित होगा। लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति, सुरक्षित परिवहन, अलग शौचालय, डिजिटल पहुँच, आवासीय सुविधा, स्थानीय भाषा में गुणवत्तापूर्ण सामग्री और उच्च शिक्षा में परामर्श व्यवस्था आवश्यक है। ग्रामीण, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों के लिए ये तत्व और भी महत्वपूर्ण हैं।

महिला शिक्षा को रोजगार और नेतृत्व से जोड़ना अगला महत्वपूर्ण चरण है। केवल उच्च शिक्षा में प्रवेश बढ़ाना पर्याप्त नहीं है; STEM, शोध, प्रशासन, न्यायपालिका, विश्वविद्यालय नेतृत्व, उद्यमिता और राजनीतिक नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए। शिक्षित महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल, क्रेच, मातृत्व लाभ, समान वेतन और यौन उत्पीड़न-निवारण तंत्र को मजबूत करना आवश्यक है।

अम्बेडकर के हिंदू कोड बिल संबंधी प्रयास यह सिखाते हैं कि महिला उत्थान को निजी क्षेत्र से अलग नहीं किया जा सकता [9]। परिवार, विवाह, उत्तराधिकार और संपत्ति स्त्री की वास्तविक स्थिति को प्रभावित करते हैं। इसलिए स्त्री-शिक्षा के साथ विधिक साक्षरता, संपत्ति-अधिकार जागरूकता और सामाजिक सुरक्षा को जोड़ना अनिवार्य है।

10. नीतिगत सुझाव

लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक सतत अधिकार के रूप में लागू किया जाए। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर ड्रॉपआउट रोकने के लिए छात्रवृत्ति, साइकिल/परिवहन, सुरक्षित विद्यालयी वातावरण और डिजिटल उपकरण दिए जाएँ। SC/ST/OBC और अल्पसंख्यक समुदायों की छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा में विशेष अकादमिक सहायता, शोधवृत्ति, भाषा-सहायता और आवासीय सुविधा सुनिश्चित की जाए। महिला शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाने के लिए कौशल विकास, डिजिटल साक्षरता, स्थानीय उद्यमिता, कृषि-आधारित उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा और सेवा क्षेत्रों से जोड़ा जाए।

विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर संवैधानिक नैतिकता, लैंगिक समानता और अम्बेडकरवादी सामाजिक न्याय को पाठ्यक्रम का व्यावहारिक हिस्सा बनाया जाए। शिक्षित महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल, समान वेतन, मातृत्व लाभ, क्रेच और यौन उत्पीड़न-निवारण तंत्र को प्रभावी रूप से लागू किया जाए। षष्ठ, महिलाओं की विधिक साक्षरता बढ़ाने के लिए महाविद्यालयों, पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों और महिला संगठनों के माध्यम से संपत्ति-अधिकार, घरेलू हिंसा-रोधी कानून, कार्यस्थल सुरक्षा और उत्तराधिकार संबंधी प्रशिक्षण चलाया जाए।

11. निष्कर्ष

डॉ. अम्बेडकर का स्त्री-शिक्षा संबंधी दृष्टिकोण आधुनिक भारत में महिला उत्थान की दिशा को समझने के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। उन्होंने शिक्षा को केवल ज्ञानार्जन या रोजगार का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना, आत्मसम्मान, अधिकार-बोध और लोकतांत्रिक संघर्ष का माध्यम माना। आधुनिक भारत में महिला शिक्षा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उच्च शिक्षा में महिला नामांकन बढ़ा है, वंचित वर्गों की छात्राओं की भागीदारी मजबूत हुई है और महिला श्रम-भागीदारी में भी वृद्धि हुई है। फिर भी शिक्षा से वास्तविक सशक्तिकरण तक की यात्रा अधूरी है।

महिला उत्थान की वास्तविक दिशा वही होगी जिसमें शिक्षा स्त्री को आर्थिक रूप से स्वायत्त, सामाजिक रूप से सम्मानित, राजनीतिक रूप से सहभागी और विधिक रूप से जागरूक नागरिक बनाए। अम्बेडकरवादी दृष्टि हमें यह समझाती है कि स्त्री-शिक्षा का लक्ष्य केवल विद्यालय, महाविद्यालय या नौकरी नहीं है, बल्कि ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण है जिसमें स्त्री स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के साथ जीवन जी सके। अतः आधुनिक भारत में महिला उत्थान की नीति को अम्बेडकर की शिक्षा-दृष्टि से जोड़ना केवल ऐतिहासिक सम्मान नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक आवश्यकता है।

संदर्भ सूची

1. अम्बेडकर, बी. आर. डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर: राइटिंग्स एंड स्पीचेज, खंड 17, भाग III. शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई, 2003।
2. अम्बेडकर, बी. आर. डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर: राइटिंग्स एंड स्पीचेज, खंड 17, भाग II. महाराष्ट्र सरकार, मुंबई, 2003।
3. अम्बेडकर, बी. आर. "ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज वीमेंस कॉन्फ्रेंस, नागपुर, 1942 में भाषण।" डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर: राइटिंग्स एंड स्पीचेज, खंड 17. महाराष्ट्र सरकार, मुंबई, 2003।
4. भारत सरकार। भारत का संविधान. विधि और न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली, नवीनतम संस्करण।
5. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। "शिक्षा का अधिकार।" स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार।
6. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण 2021-22. नई दिल्ली, 2024।
7. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट 2023-24. नई दिल्ली, 2024।
8. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। यू-डाइस प्लस रिपोर्ट 2024-25. नई दिल्ली, 2025।
9. अम्बेडकर, बी. आर. "हिंदू कोड बिल।" डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर: राइटिंग्स एंड स्पीचेज, खंड 14. डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन, भारत सरकार।
10. अम्बेडकर, बी. आर. जाति का विनाश. जालंधर: भीम पत्रिका पब्लिकेशन्स, 1936।
11. रेगे, एस. अगेन्स्ट द मैडनेस ऑफ मनु: बी. आर. अम्बेडकर'स राइटिंग्स ऑन ब्राह्मणिकल पैट्रिआर्की. नई दिल्ली: नवयाना, 2013।
12. पाइक, एस. दलित वीमेंस एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया: डबल डिस्क्रिमिनेशन. लंदन: रूटलेज, 2014।
13. ओमवेत, जी. अम्बेडकर: टुवर्ड्स एन एनलाइटेंड इंडिया. नई दिल्ली: पेंगुइन, 2004।
14. जेलियट, ई. फ्रॉम अनटचेबल टू दलित: एसेज ऑन द अम्बेडकर मूवमेंट. नई दिल्ली: मनोहर, 1992।
15. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. नई दिल्ली, 2020।
16. इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज और आईसीएफ। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS-5, 2019-21: भारत. मुंबई: आईआईपीएस, 2021।
17. सेन, ए. डेवलपमेंट ऐज़ फ्रीडम. नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1999।
18. नुसबॉम, एम. सी. वीमेन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट: द कैपेबिलिटीज अप्रोच. कैम्ब्रिज: कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 2000।
19. ट्रेज, जे., और सेन, ए. एन अनसर्टेन ग्लोरी: इंडिया एंड इट्स कॉन्ट्राडिक्शन्स. नई दिल्ली: ऐलन लेन, 2013।

20. विश्व बैंक। विश्व विकास रिपोर्ट 2012: लैंगिक समानता और विकास. वॉशिंगटन, डी.सी.: विश्व बैंक, 2012।
21. यूनेस्को। वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट: जेंडर रिपोर्ट. पेरिस: यूनेस्को, 2022।
22. अम्बेडकर, बी. आर. कास्ट्स इन इंडिया: देयर मेकैनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट. कोलंबिया विश्वविद्यालय, 1916।